न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 37/20 दायरा दिनांक 09.11.2020

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

लालाराम पुत्र स्वरूपलाल जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– **वादी**

–: बनाम :–

1. इन्दरलाल पुत्र बलुआ जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 20.01.2023

उपस्थित– 1. श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादी कम 1)
3. पेरोकार सरकार (प्रतिवादी कम 2)

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलोनी में वादी के पिता के भाई हरपाल अर्थात वादी के ताऊ हरपाल की खातेदारी में 546/1 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 574 रकबा 4.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.14 बीघा कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरपाल की खातेदारी में दर्ज है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उक्त आराजी को वादपत्र में विवादित आराजी कहा गया है। मृतक हरपाल के कोई सन्तान नहीं थी, वादी द्वारा ही हरपाल की देखरेख सेवा सुश्रुषा की गई, जिससे प्रसन्न होकर स्वेच्छा हरपाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी की वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 05.01.2017 को रूबरू गवाहान तहरीर की थी तथा मृतक हरपाल के जीवनकाल में भी वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा, उक्त वसीयत के आधार पर वादी मृतक हरपाल का वसीयती वारिस होने से विवादित आराजी का वादी एकमात्र वारिस व खातेदार कृषक हो गया है, वादी द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि को वादी के नाम दर्ज किये जाने बावत प्रार्थनापत्र प्रतिवादीकम 2 को पेश किया, परन्तु प्रतिवादीकम 2 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही और वादी को मौखिक निर्देश दिया कि कोर्ट में कार्यवाही करो। प्रतिवादीकम 2 मामले में नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं कर न्यायालय का मामला बताकर टालमटोल कर [illegible] उठाकर भूमि मृतक हरपाल के खाते में दर्ज होने से प्रतिवादीक[illegible] विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, के मन [illegible] जबरन वादी की उक्त आराजी पर कब्जा करना चा[illegible] प्रतिवादीकम 1 [illegible] आराजी पर कब्जा करने की [illegible] पहुंचा तो वादी ने ब[illegible] से उसे रोका प्रतिवादीकम 1 ने धमकी दी है कि वह जबरन ताकत के बल पर आराजी पर कब्जा करेगा, प्रतिवादीकम 1 ने पुलिस से सांठगांठ कर ली है, जो पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

भी वादी पर कब्जा छोडने के लिये दबाव बना रही है। प्रतिवादीकम 1 जबरन वादी को बेदखल कर कब्जा करना चाहता है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लिहाजा माननीय न्यायालय से वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा व प्रतिवादीकम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये। वादी की ओर से पी.डबलू 1 वादी लालाराम पी. डबलू 2 कल्लू पी.डबलू 3 सरवन के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वसीयत विलेख दिनांक 05.01.2017 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी ग्राम कलोनी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाणपत्र हरपाल पुत्र बलुआ प्रदर्श 3, पेश किये। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई।

वादीगण ने कथन किया है कि ग्राम कलोनी में वादी के पिता के भाई हरपाल अर्थात वादी के ताऊ हरपाल की खातेदारी में 546/1 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 574 रकबा 4.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.14 बीघा कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, मृतक हरपाल के कोई सन्तान नहीं थी, वादी द्वारा ही हरपाल की देखरेख सेवा सुश्रुषा की गई, जिससे प्रसन्न होकर स्वेच्छा हरपाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी की वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 05.01.2017 को रूवरू गवाहान तहरीर की है और इस आधार पर वादी ने विवादित आराजी के बावत खातेदारी चाही है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2 में विवादित आराजी खसरा संख्या 546/1 रकबा 3.00 बीघा तथा खसरा संख्या 574 रकबा 4.14 बीघा हरपाल पुत्र बलुवा कौम सहरिया के नाम दर्ज है, हरपाल की मृत्यु दिनांक 08.06.2019 को होना प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाणपत्र से साबित है। प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श 1 खातेदार हरपाल द्वारा दिनांक 05.01.2017 को वादी के हक में लिखी जाकर उसी दिन नोटेरी द्वारा प्रमाणित कराई गई है, इस वसीयत पर गवाह कल्लू पुत्र चेंतू अहीर निवासी कलोनी तथा सरवन पुत्र हरिचरण सहरिया निवासी कलोनी गवाह के रूप में अंकित हैं, जिन्हे वादी ने पी छबलू 2 व 3 के रूप में परिक्षित कराया है, जिन्होने उक्त वसीयत उनके सामने खातेदार हरपाल द्वारा वादी के हक में तहरीर कराये जाने का कथन किया है। चूंकि प्रतिवादीकम 1 के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई होने से कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाई है और इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य [illegible] होने से विश्वसनीय प्रतीत होती है। इस वसीयत के आधार पर वादी विवादित आराजी का वैध हकदार पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कलोनी तहसील शाहाबाद की आराजी खसरा नम्बर 546/1 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 574 रकबा 4.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.14 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को मृतक हरपाल के स्थान पर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहजहांपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner